पत्रांक : 5प / राज्य स्कीम–02–03 / 2021 / 76 /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक: 03/01/2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 72(स्वी०) दिनांक 31.12.2024 के आलोक में कुल ₹5,25,00,000.00 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 72(स्वी०) दिनांक 31.12.2024 द्वारा "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹5,25,00,000.00 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख रुपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका–03 के अनुरूप CFMS के माध्यम से राशि अंतरित कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत्यादेश के कंडिका–03 के अनुरूप मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिले के ग्राम पंचायतों को कुल ₹5,25,00,000.00 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

राशि रूपये में

क्र०	जिला	प्रखंड		शीर्षवार स्वीकृत राशि			
				16-2515001980113	16-2515007890112	16-2515007960119	कुल (कॉलम 5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	मंझौली खेतल	8365850.00	1321500.00	812650.00	10500000.00
			सुस्ता	8365850.00	1321500.00	812650.00	10500000.00
			डुमरी	8365850.00	1321500.00	812650.00	10500000.00
			कुल :–	**25097550.00**	**3964500.00**	**2437950.00**	**31500000.00**
2	शिवहर	पिपराही	मेसौढ़ा	8365850.00	1321500.00	812650.00	10500000.00
			कुल :–	**8365850.00**	**1321500.00**	**812650.00**	**10500000.00**
3	सीतामढ़ी	डुमरा	मनियारी	8365850.00	1321500.00	812650.00	10500000.00
			कुल :–	**8365850.00**	**1321500.00**	**812650.00**	**10500000.00**
			कुल योग :–	**41829250.00**	**6607500.00**	**4063250.00**	**52500000.00**

पाँच करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2024-25\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2022-23.docx 113

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगी:–

राशि रूपये में

क्र०	योजना शीर्ष	आवंटित राशि
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515001980113 विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	41829250.00
2	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007890112 विषय शीर्ष–0112.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	6607500.00
3	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0119–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007960119 विषय शीर्ष–0119.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	4063250.00
	कुल	**52500000.00**

पाँच करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 72(स्वी०) दिनांक 31.12.2024 के आलोक में संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

5. संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 573 दिनांक 16.01.1975 एवं एम० 04–15/2009–9736 दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम–271(ङ) के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 214 दिनांक 06.03.2024 एवं 730 दिनांक 09.12.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्‌मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। B.K भगत

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 के पृष्ठ संख्या 255 /टि० पर दिनांक 03/01/2025 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

3/1/25

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–13/2021/76 (अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 03/01/25

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03, 06, 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), लेखापाल, रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/1/25

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/76 (अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 03/01/25

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/1/2025

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

B.K.